मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 26 फरवरी, 2015 (फाल्गुन 7, शक सम्वत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10:32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तरकाल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी एवं कार्यवाही में व्यवधान किया जाना

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्नकाल के प्रारंभ में प्रथम प्रश्न के लिए श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य का नाम पुकारा गया किन्तु डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री तथा श्री भूपेन्द्र सिंह, परिवहन मंत्री, श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री एवं श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री द्वारा अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया गया कि एक वर्ष से लगातार कांग्रेस के सदस्यगण सदन को चलने नहीं दे रहे है, प्रदेश के विकास में विपक्ष बाधा बना हुआ है और विधान सभा में सदन के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है अत: कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों के विरूद्ध हम निंदा प्रस्ताव लाना चाहते हैं. इस पर दोनों पक्षों से शोर होने लगा. माननीय अध्यक्ष द्वारा सभी सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का बार-बार अनुरोध किया गया.

सदस्यगण द्वारा परस्पर नारेबाजी की जाती रही. अत्यधिक व्यवधान एवं शोरगुल के कारण सदन की कार्यवाही 10.40 बजे 15 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 10.56 बजे पुन:समवेत की गई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

माननीय सदस्यगण द्वारा परस्पर नारेबाजी तथा आरोप-प्रत्यारोप के कारण कार्यवाही में पुन: व्यवधान हुआ. अध्यक्ष महोदय द्वारा दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों से प्रश्नोत्तर काल चलने देने हेतु पुन: अनुरोध किया गया. किन्तु, अत्यधिक व्यवधान होने के कारण, कार्यवाही 11.05 बजे से 11.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाकर, 11.32 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री अजय सिंह, सदस्य की इंदौर स्थित एम.जी.एम. मेडिकल कालेज के ड्रग ट्रायल प्रकरण के दोषियों पर कार्यवाही न होने,
(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की उज्जैन संभाग में ऊर्जा विभाग की लापरवाही से दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु होने,
(3) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिला चिकित्सालय का उन्नयन किये जाने,
(4) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की प्रदेश में स्टाफ नर्सिंग भर्ती में पुरूष नर्सों को पात्रता न दी जाने,
(5) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इंदौर शहर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं डी.जे. साउण्ड के उपयोग से प्रदूषण होने,
(6) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली के ग्रामों को पम्प फीडर से बिजली कम समय के लिये मिलने,
(7) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य की जौरा क्षेत्र में आवारा पशुओं द्वारा फसलें नष्ट की जाने,
(8) श्री के.पी. सिंह, सदस्य की पिछोर क्षेत्र में पात्र हितग्राहियों को राशन न मिलने
(9) श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया, सदस्य की गुना जिले की ग्राम पंचायत आवन में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का लाभ न मिलने तथा
(10) श्री प्रहलाद भारती, सदस्य की शिवपुरी के पोहरी शासकीय महाविद्यालय में पदों की स्वीकृति दी जाने,

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

3. निन्दा प्रस्ताव

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इण्डियन नेशनल कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में माननीय मुख्यमंत्री को सदन में न बोलने देने के विरोध में सदन के समक्ष निम्नलिखित निन्दा प्रस्ताव रखा गया :-

"चौदहवीं विधान सभा के पहले सत्र से वर्तमान पांचवें सत्र में कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा जानबूझकर न केवल सदन की कार्यवाही बाधित की जा रही है, वरन् माननीय राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद की भी अवमानना कर संवैधानिक मर्यादाओं को लांघा गया है. सदन के नेता को इरादतन बोलने ना देना, आसंदी की उपेक्षा और लगभग हर दिन सत्र के प्रश्नकाल सहित सारी कार्यवाहियों को बाधित करना, न केवल जनता के प्रति इस सदन की जवाबदेही पर प्रश्न चिन्ह है, वरन एक गंभीर संसदीय अपराध है, अप्रजातांत्रिक है और सदन की अवमानना भी है.

मध्यप्रदेश विधान सभा के गौरवमयी इतिहास में कांग्रेस विधायक दल का इस तरह का आचरण माफी योग्य नहीं है. अत: यह सदन नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों के असंसदीय एवं अशोभनीय आचरण के लिए उनकी निंदा करता है."

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री द्वारा निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया गया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया.

निन्दा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य की उज्जैन के नागदा स्थित निजी उद्योगों द्वारा सेवा निवृत्ति के नियमों का पालन न किये जाने तथा श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य की सीहोर जिले के अनेक ग्रामों की बिजली प्रदाय बंद किये जाने संबंधी ध्यानाकर्षण सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

(1) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का षष्टम् प्रतिवेदन

श्री गोपीलाल जाटव, सभापति ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का षष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी, 2015 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :--

क्रमांक	अशासकीय संकल्प क्रमांक	माननीय सदस्य	निर्धारित समय
1.	क्रमांक-2	श्री संजय पाठक	20 मिनट
2.	क्रमांक-5, 11	सर्वश्री यशपाल सिंह सिसोदिया, रामनिवास रावत	40 मिनट
3.	क्रमांक-12	डॉ. गोविन्द सिंह	40 मिनट
4.	क्रमांक-15, 32	सर्वश्री दुर्गालाल विजय, हितेन्द्र सिंह सोलंकी	20 मिनट
5.	क्रमांक-25	श्री विश्वास सारंग	30 मिनट

श्री गोपीलाल जाटव, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी के षष्टम् प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री रुस्तम सिंह, सदस्य ने नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकायें प्रस्तुत हुई मानी गईः-

(1) श्री भारत सिंह कुशवाह (जिला-ग्वालियर)

(2) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)

(3) श्रीमती योगिता बोरकर (जिला-खण्डवा)

(4) श्री इन्दर सिंह परमार (जिला-शाजापुर)

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 1 सन् 2015) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 2 सन् 2015) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

8. गर्भगृह में प्रवेश एवं नारेबाजी की जाना

इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में प्रवेश कर नारेबाजी की जाना

इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण सर्वश्री अजय सिंह, रामनिवास रावत, कमलेश्वर पटेल, तरूण भनोत, लाखन सिंह यादव एवं अन्य लगातार नारेबाजी कर गर्भगृह में आकर बैठ गये. अध्यक्ष महोदय द्वारा उन्हें अपने स्थान पर बैठने की समझाईश दी गई.

9. संसदीय कार्य मंत्री का प्रस्ताव

वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में उल्लिखित विभागीय अनुदान मांगों पर मतदान के साथ विनियोग विधेयक व अन्य शासकीय आवश्यक कार्य नियमों को शिथिल कर पूर्ण किए जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने आसंदी के माध्यम से सदन के समक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि -

" नेता प्रतिपक्ष एवं उनके दल के सदस्य वर्तमान सत्र के प्रारम्भ से ही सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं, जबकि सदन में उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार व्यापम सहित सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा का पर्याप्त अवसर भी दिया गया है. इसके बावजूद प्रतिदिन प्रतिपक्ष के सदस्यगण प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही कार्यवाही में व्यवधान पैदा करना प्रारंभ कर देते हैं. यहां तक कि संवैधानिक मर्यादा तथा अन्य संसदीय मर्यादाओं का भी पालन नहीं कर रहे हैं. प्रतिपक्ष के सदस्यों के ये सभी कृत्य प्रजातांत्रिक व्यवस्था एवं संसदीय व्यवस्था के लिये पूर्णतः अस्वीकार्य हैं. यहां तक कि प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर सदन के नेता एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य में भी व्यवधान डाला गया और सदन के नेता को कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर अपना जवाब तक प्रस्तुत करने नहीं दिया. प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का यह आचरण पूर्णतः संसदीय परंपरा व मर्यादा के विपरीत एवं निंदनीय हैं. आज भी इसी तरह के आचरण की पुनरावृत्ति कर सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं. इसी परिप्रेक्ष्य में कल आसंदी से दी गई व्यवस्था के बावजूद भी उनके आचरण में कोई सुधार नहीं हो रहा है. ऐसी स्थिति में नियम प्रक्रिया के तहत शांतिपूर्ण ढंग से सदन की कार्यवाही चलाना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है. नेता प्रतिपक्ष व उनके दल के सदस्यों की बजट पर चर्चा में कोई रूचि नहीं है, वे सदन के नेता को एवं शासकीय कार्य में सहयोग नहीं करना चाहते.

अतः ऐसी स्थिति में मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज ही वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में उल्लिखित विभागीय अनुदान की मांगों पर मतदान के साथ विनियोग विधेयक व अन्य शासकीय आवश्यक कार्य नियमों को शिथिल कर पूर्ण किये जायें."

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

10. वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में उल्लिखित अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

मांग संख्या -1	सामान्य प्रशासन के लिये तीन सौ चौसठ करोड़ एकतालीस लाख छियत्तर हजार रूपये,
मांग संख्या -2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए साठ करोड़ चौसठ लाख अड़तालीस हजार रूपये ,
मांग संख्या -26	संस्कृति के लिए एक सौ बाईस करोड़ उनचालीस लाख पन्चानवे हजार रूपये,
मांग संख्या-37	पर्यटन के लिए एक सौ तेईस करोड़ चौतीस लाख बत्तीस हजार रूपये,
मांग संख्या -48	नर्मदा घाटी विकास के लिए एक हजार छह सौ पचपन करोड़ इकतीस लाख चौरान्वे हजार रूपये,
मांग संख्या -65	विमानन के लिए बाईस करोड़ चौतीस लाख सत्तासी हजार रूपये,
मांग संख्या- 03	पुलिस के लिए पांच हजार दो सौ ग्यारह करोड़ छियालिस लाख आठ हजार रूपये,
मांग संख्या-04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए इकतालीस करोड़ अड़तालीस लाख तैंतीस हजार रूपये,
मांग संख्या -05	जेल से संबंधित व्यय के लिए दो सौ सत्तर करोड़ चौसठ लाख बारह हजार रूपये,
मांग संख्या -06	वित्त से संबंधित व्यय के लिए तेरह हजार सात सौ पचास करोड़ सड़सठ लाख अठ्ठानवे हजार रूपये,
मांग संख्या -07	वाणिज्यिक कर से संबंधित व्यय के लिए दो हजार पांच सौ तिहत्तर करोड़ तिहत्तर लाख चौंतीस हजार रूपये,
मांग संख्या -23	जल संसाधन के लिए तीन हजार तीन सौ चौंतीस करोड़ नौ लाख बयासी हजार रूपये,
मांग संख्या -31	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी के लिए एक सौ चौंतीस करोड़ चौरासी लाख अट्ठाईस हजार रूपये,
मांग संख्या -40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय- आयाकट के लिए एक सौ उनहत्तर करोड़ नियान्नवे लाख बीस हजार रूपये,
मांग संख्या -45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिए छह सौ इकतालीस करोड़ पचासी लाख चौहत्तर हजार रूपये,
मांग संख्या -57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए दो सौ चवालीस करोड़ पचहत्तर लाख निन्यान्वे हजार रूपये,
मांग संख्या -60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए दो सौ इकतीस करोड़ इक्यावन लाख रूपये,
मांग संख्या -61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय के लिए तीन सौ तेरह करोड़ चार लाख छियानवे हजार रूपये,
मांग संख्या -17	सहकारिता के लिए सात सौ इकतीस करोड़ तेईस लाख चवालीस हजार रूपये,
मांग संख्या -30	ग्रामीण विकास के लिए दो हजार इकसठ करोड़ पचपन लाख पन्द्रह हजार रूपये,
मांग संख्या -34	सामाजिक न्याय के लिए एक सौ अड़सठ करोड़ इक्यावन लाख सन्तावन हजार रूपये,
मांग संख्या -59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए दस करोड़ रूपये,
मांग संख्या -62	पंचायत के लिए एक सौ पचहत्तर करोड़ इकहत्तर लाख छियासठ हजार रूपये,
मांग संख्या -74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए ग्यारह हजार एक सौ चौबीस करोड़ पच्चासी लाख दो हजार रूपये,
मांग संख्या -10	वन के लिए दो हजार तीन सौ एक करोड़ तैंतालीस लाख अठहत्तर हजार रूपये
मांग संख्या -22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण के लिए नौ सौ पचास करोड़ बानवे लाख अड़तालीस हजार रूपये,
मांग संख्या -75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए पांच हजार पांच सौ चौरासी करोड़ पचहत्तर लाख रूपये,
मांग संख्या -71	सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय के लिए दो सौ पचहत्तर करोड़ दो हजार रूपये,
मांग संख्या -24	लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल के लिए तीन हजार चार सौ बीस करोड़ सन्तानवे लाख पचहत्तर हजार रूपये,
मांग संख्या -67	लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए आठ सौ चौहत्तर करोड़ इक्यानवे हजार रूपये
मांग संख्या -19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए चार हजार चौवन करोड़ छियानवे लाख बावन हजार रूपये,
मांग संख्या -28	राज्य विधान मंडल के लिए बहत्तर करोड़ तैंतालीस लाख बावन हजार रूपये,
मांग संख्या -38	आयुष के लिए तीन सौ चौहत्तर करोड़ छब्बीस लाख सोलह हजार रूपये,
मांग संख्या -72	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास के लिए सन्तानवे करोड़ अस्सी लाख छत्तीस हजार रूपये,
मांग संख्या -73	चिकित्सा शिक्षा के लिए पाँच सौ बहत्तर करोड़ बारह लाख पाँच हजार रूपये,
मांग संख्या -39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक हजार दो सौ अड़तालीस करोड़ दो लाख तिरासी हजार रूपये,
मांग संख्या -13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास के लिए एक हजार आठ सौ इक्यासी करोड़ बाईस लाख इकहत्तर हजार रूपये,
मांग संख्या -54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए सन्तानवे करोड़ पचास लाख रूपये,
मांग संख्या -44	उच्च शिक्षा के लिए एक हजार सात सौ उनहत्तर करोड़ पैंतालीस लाख बयासी हजार रूपये,
मांग संख्या -47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए छह सौ एक करोड़ चौरान्वे लाख सात हजार रूपये,

मांग संख्या -70	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए सात करोड़ अठहत्तर लाख अट्ठासी हजार रूपये,
मांग संख्या -14	पशुपालन के लिए सात सौ आठ करोड़ नब्बे लाख चौरान्वे हजार रूपये
मांग संख्या -16	मछली पालन के लिए तिरसठ करोड़ निन्यानवे लाख पच्चीस हजार रूपये,
मांग संख्या -20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए एक हजार दो सौ इक्यानवे करोड़ चौवन लाख छब्बीस हजार रूपये,
मांग संख्या -29	विधि और विधायी कार्य के लिए सात सौ अट्ठाईस करोड़ इक्यासी लाख निन्यानवे हजार रूपये,
मांग संख्या -50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए चार सौ उनचास करोड़ इकहत्तर लाख अट्ठावन हजार रूपये,
मांग संख्या -56	ग्रामोद्योग के लिए दो सौ चौबीस करोड़ इक्यानवे लाख अड़तीस हजार रूपये,
मांग संख्या -11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार के लिए एक हजार सात सौ सतहत्तर करोड़ पचहत्तर लाख चौंतीस हजार रूपये,
मांग संख्या -43	खेल एवं युवक कल्याण के लिए एक सौ बारह करोड़ दस लाख छत्तीस हजार रूपये,
मांग संख्या -51	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व के लिए एक सौ सत्रह करोड़ तेईस लाख ग्यारह हजार रूपये,
मांग संख्या -27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) के लिए सात हजार दो सौ दस करोड़ तिहत्तर लाख पाँच हजार रूपये,
मांग संख्या -77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) दो हजार चार सौ पैंतीस करोड़ पच्चासी लाख सत्तर हजार रूपये
मांग संख्या -12	ऊर्जा के लिए नौ हजार दो सौ तीन करोड़ अट्ठानवे लाख बानवे हजार रूपये,
मांग संख्या -25	खनिज साधन के लिए अड़तीस करोड़ बारह लाख पचपन हजार रूपये,
मांग संख्या -32	जनसंपर्क के लिए दो सौ उनचास करोड़ छप्पन लाख उनहत्तर हजार रूपये,
मांग संख्या -76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के लिए चौवन करोड़ चौसठ लाख तिरासी हजार रूपये,
मांग संख्या -18	श्रम के लिए एक सौ बयासी करोड़ चौबीस लाख तैंतीस हजार रूपये,
मांग संख्या -63	अल्प संख्यक कल्याण के लिए बासठ करोड़ नब्बे लाख नवासी हजार रूपये,
मांग संख्या -66	पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए आठ सौ सत्तासी करोड़ तीस लाख आठ हजार रूपये,
मांग संख्या -69	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण के लिए चौदह करोड़ पचास लाख सत्तर हजार रूपये,
मांग संख्या -08	भू- राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए एक हजार दो सौ अट्ठासी करोड़ बावन लाख चौहत्तर हजार रूपये,
मांग संख्या -09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए तिरसठ करोड़ इक्यासी लाख इक्यानवे हजार रूपये,
मांग संख्या -35	पुनर्वास के लिए बहत्तर लाख चार हजार रूपये
मांग संख्या -58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए एक हजार नौ सौ निन्यानवे करोड़ निन्यानवे लाख तिहत्तर हजार रूपये,
मांग संख्या -15	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता दो हजार तीन सौ तिरासी करोड़ पच्चीस लाख सत्ताईस हजार रूपये
मांग संख्या -33	आदिम जाति कल्याण के लिए एक हजार छह सौ उन्नीस करोड़ छिहत्तर लाख अट्ठासी हजार रूपये,
मांग संख्या -41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए आठ हजार छह सौ सात करोड़ छत्तीस लाख पचास हजार रूपये,
मांग संख्या -42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़के और पुल के लिए आठ सौ पचपन करोड़ बारह लाख अड़सठ हजार रूपये,
मांग संख्या -49	अनुसूचित जाति कल्याण के लिए पिन्चानवे करोड़ बाईस लाख तिरसठ हजार रूपये,
मांग संख्या -52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए तीन हजार तीन सौ बयासी करोड़ चौरान्वे लाख सत्तर हजार रूपये,
मांग संख्या -53	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए तीन सौ उनचास करोड़ तीन लाख बानवे हजार रूपये,
मांग संख्या -64	अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए छह हजार तीन सौ छत्तीस करोड़ इकतीस लाख चौरानवे हजार रूपये,
मांग संख्या -68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को सहायता के लिए अड़तालीस करोड़ नब्बे लाख तैंतालीस हजार रूपये,
मांग संख्या -55	महिला एवं बाल विकास के लिए दो हजार आठ सौ बहत्तर करोड़ बयासी लाख तेरह हजार रूपये,
मांग संख्या -21	लोक सेवा प्रबंधन के लिए एक सौ सात करोड़ पचास लाख छह हजार रूपये
मांग संख्या -36	परिवहन के लिए एक सौ चौतीस करोड़ तेईस लाख पन्द्रह हजार रूपये,
मांग संख्या -46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए दो सौ तेरह करोड़ तिरान्वे लाख चौवन हजार रूपये तक की राशि दी जाए

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य ने मांगों पर चर्चा प्रारम्भ की लेकिन व्यवधान के कारण वे अपना भाषण पूर्ण नहीं कर पाए.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया.

अनुदान मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 का पुर:स्थापन किया.

12. अध्यक्षीय घोषणा

पुर:स्थापित विधेयकों को आज ही विचार में लेने की अनुमति प्रदान की जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि सदन में पुर:स्थापित मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 1 सन् 2015) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 2 सन् 2015) की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए आज ही विचार में लिये जाने की अनुमति प्रदान की गई है.

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 1 सन् 2015) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 19 इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 1 सन् 2015) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 2 सन् 2015) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 2 सन् 2015) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(3) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 (क्रमांक 3 सन् 2015) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 (क्रमांक 3 सन् 2015)पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

14. विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने विषयक प्रस्ताव

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के समक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि - विधान सभा के वर्तमान फरवरी-मार्च, 2015 सत्र के लिये निर्धारित समस्त शासकीय, वित्तीय एवं अन्य आवश्यक कार्य पूर्ण हो चुके हैं. अत: मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 12-ख के द्वितीय परंतुक के अंतर्गत, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि "विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

15. राष्ट्रगान "जन गण मन" का समूहगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूह गान किया गया ।

16. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना

मध्याह्न 12.02 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 26 फरवरी, 2015